न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 175/2022

प्रार्थी :–

1. चनणाराम पुत्र खेताराम जाति जाट, निवासी तृतीय रेल्वे फाटक के पास, बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा,
2. सिणगारी देवी पत्नी चनणाराम
3. भरत कुमार पुत्र चनणाराम
4. मेहराराम पुत्र लालाराम
5. श्रीमती हेमलता पत्नी मेहराराम सभी जातियान जाट निवासी बालोतरा।
6. निर्मलकंवर पत्नी स्व. श्री थानसिंह
7. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री थानसिंह (नाबालिंग कुदरती वली निर्मलकंवर)
8. दिलीपसिंह पुत्र स्व.श्री थानसिंह (नाबालिंग कुदरती वली निर्मलकंवर)
9. सरदारसिंह पुत्र लालसिह जाति राजपूत निवासी बिठुजा
10. जोगेन्द्रसिह पुत्र रामसिंह सोढा जाति राजपूत
11. भीकमचन्द्र पुत्र श्री हंजारी जाति लौहार निवासी बालोतरा
12. नगर परिषद बालोतरा, जरिये आयुक्त बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :–

1. श्री करण सिंह वकील प्रार्थी
2. श्री जोगेन्द्रसिंह सोढा विप्रार्थी संख्या 06,9,10
3. श्री अचलाराम थोरी विप्रार्थी संख्या 04

आदेश

दिनांक :– 22.08.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 534/27 रकबा 21–15 बीघा किस्म बा.दो सरहद मौजा बिठुजा पटवार क्षेत्र बिठुजा, भू अभिलेख निरीक्षक आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर में अवस्थित है । जिसमें आवागमन हेतु कटाण रास्ता व सडक तक विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 573/35 भूमि में से 30 फिट चौडाई में जो नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल से मार्क ए से बी कटाण रास्ता व सडक आवागमन हेतु रास्ता के उपयोग हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 17:09:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज कर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस विप्रार्थीगण की [illegible] गयी। विप्रार्थी संख्या 04, 06,09 व 10 के वकील उप[illegible] 02 3,5,7,8 व 11 को नोटिस बाद तामील के अनु[illegible] एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । विप्रार्थी संख्या – 6, 9 व 10 [illegible] पर्याप्त समय देने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं किया जाने पर उक्त विप्रार्थी [illegible] जबाब का अवसर बंद किया गया । विप्रार्थी संख्या – 04 के द्वारा दिनांक 16.8.2022 को प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया गया । वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076–79 व उक्त भूमि का लट्ठा ट्रेस प्रस्तुत किया । आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में भू.अभिलेख निरीक्षक आसोतरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो मौका रिपोर्ट दिनांक 15.7.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 534/27 जो प्रार्थी व विप्रार्थीगण की शामलाती भूमि है के लिए

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

ग्राम बिठुजा के खसरा संख्या 573/35 रका 11-10 (1.8616 हैक्टेयार) किस्म बा.दो सिवायचक है । जो सरकारी भूमि है। मौका फर्द परिशिष्ट 'अ' के अनुसार मार्क 'ए' से 'बी' बरंग लाल तक 0-12 बीघा (0.0971 हैक्टेयर) रास्ते हेतु प्रस्तावित है। ग्राम बिठुजा की डी.एल.सी प्रति बीघा 343224/- रूपये है। प्रस्तावित भूमि की दुगना राशि 411868/- रूपये बनती है । उक्त मौका रिपोर्ट पर विप्रार्थी संख्या -04 के द्वारा पेश जबाब में आपत्तियां प्रस्तुत की गयी , जिस सम्बन्ध उप तहसीलदार जसोल से रिपोर्ट तलब करने पर जाहिर किया की विप्रार्थी मेहरा राम के द्वारा खसरा संख्या 534/27 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 36 तथा खसरा संख्या 575/37 में से होकर जो निकटतम मार्ग बताया गया है उक्त दोनो खसरो पूर्णतः नदी बहाव क्षेत्र में है जहां पर नदी की गहराई करीब 10 से 15 फीट है जो आवागमन हेतु उपयुक्त नहीं है । पूर्व में मौका फर्द संलग्न नक्शे में प्रस्तावित मार्ग के अलावा कोई नजदीकी उपयुक्त मार्ग नहीं है ।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी ।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत से राजकीय कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या -1 के खातेदारी खेत में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता इकलौता विकल्प है, जिसकी प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। विप्रार्थी संख्या -4 के वकील ने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए आपत्ति प्रकट की गयी ।

हमने उभय पक्षकारान की बहस, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात तथा मौका रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया । विप्रार्थी संख्या -4 ने मेहराराम द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के सम्बन्ध में उप तहसीलदार जसोल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यों का अध्ययन किया गया के अनुसार प्रार्थी के आवागमन हेतु मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित मार्ग के अलावा कोई नजदीक व उपयुक्त मार्ग नहीं है। प्रार्थीनी उक्त रास्ते की भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या -1 को डी.एल.सी दर की दुगनी राशि अदा करने हेतु सहमत है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थी ग्राम बिठुजा पटवार क्षेत्र बिठुजा, भू.अभिलेख निरीक्षक आसोतरा तहसील पचपदरा की खसरा नम्बर 534/27 रकबा 21-15 बीघा किस्म बा.दो भूमि से राजकीय कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु इस ग्राम के खसरा संख्या 537/35 रकबा 11-10 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में से उप तहसीलदार जसोल द्वारा प्रेषित मौका फर्द में बरंग लाल से दर्शित 'ए' से 'बी' तक प्रस्तावित भूमि 0-12 (0.0971 हैक्टेयर) बीघा भूमि, प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 411868/- रूपये अदा करने, और उनके द्वारा नहीं लिये जाने पर राजकोष में जमा करवाये जाने पर, गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार पचपदरा को तदनुसार राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में अमल दरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 13.07.2022 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय का भाग समझ कर साथ पढ़ा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 17:09:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा